कर्नाटक ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

कर्नाटक ने **सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों** को स्वीकार करने के लिये अस्पतालों में **मेडिकल बोर्ड** स्थापित करने की अनुमति दी।

- *??* [*????? ???? ????? ???????? ?? ???????? ????, 2018*] **में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया गया है, जिसमें निष्क्रिय इच्छामृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया था।**
  - निष्क्रिय इच्छामृत्यु में जीवन-रक्षक उपचारों को रोकना या बंद कर देना शामिल है, जिससे व्यक्ति को अपनी स्थिति से स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय** का 2023 का आदेश [**अनुच्छेद 21**] के तहत सम्मान के साथ मरण के अधिकार की पुष्टि करता है और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के मानदंडों को सरल बनाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय दिशा-निर्देश 2023:
  - **WLST का प्रत्याहरण: प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड**, लिविंग विल के आधार पर **जीवन-रक्षक चिकित्सा (WLST) का प्रत्याहरण** किये जाने के अनुरोधों की समीक्षा करेंगे।
  - **लिविंग विल:** लिविंग विल (एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव) से रोगियों को अपने **उपचार संबंधी इच्छाओं** को दस्तावेज़ित करने की सुविधा मिलती है, जिससे जीवन के अंतिम निर्णयों में गरिमा सुनिश्चित होती है।
  - **अनुमोदन:** प्रक्रिया के लिये **उपचार करने वाले डॉक्टर, दो मेडिकल बोर्ड** (प्रत्येक में तीन चिकित्सक) तथा **ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी** द्वारा नामित चिकित्सक से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
  - **सहमति: मेडिकल बोर्ड के निर्णय के लिये निकटतम रिश्तेदार की सहमति और प्रथम श्रेणी** [न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।]
  - उन्नत चिकित्सा निर्देश (AMD): AMD के अनुसार यदि रोगी की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय लेने के लिये कम-से-कम दो व्यक्तियों की नियुक्ति करना अनिवार्य है।
    - AMD को स्वस्थ मस्तिष्क वाले वयस्कों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, डिजिटल रूप में या दस्तावेज़ पर दर्ज किया जा सकता है, तथा स्वास्थ्य रिकॉर्ड में बनाए रखा जा सकता है।

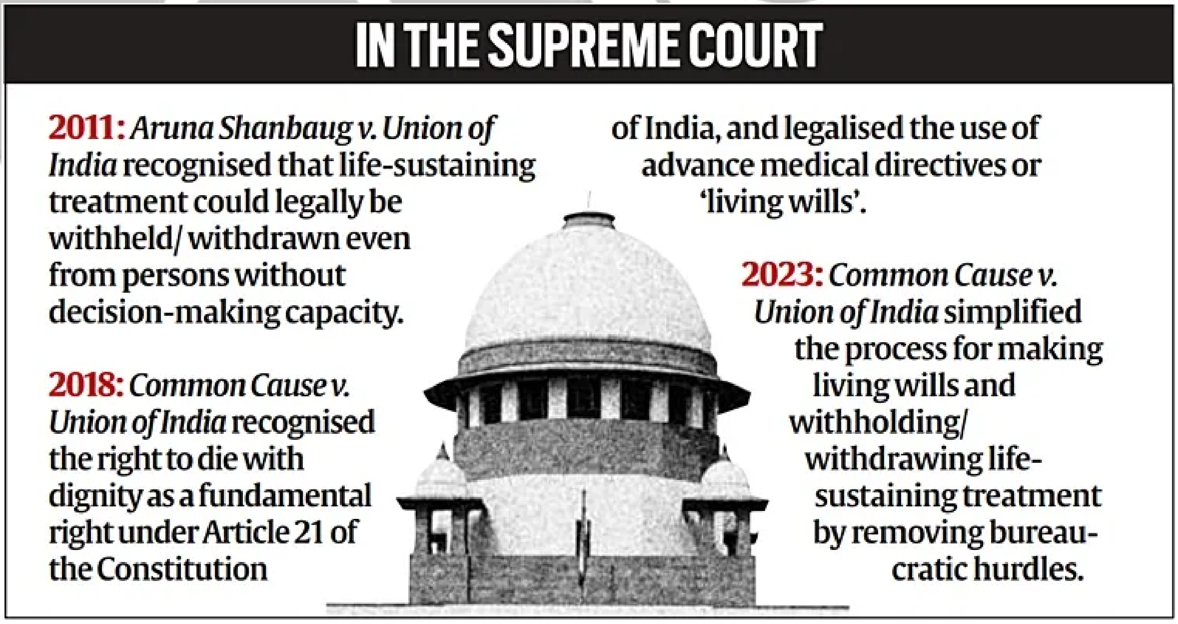

और पढ़ें: [सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के मानदंडों को आसान बनाया]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/karnataka-allows-right-to-die-with-dignity